4. One Officer not below the rank of Additional or Joint Commissioner of Income Tax other than Additional or Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters) – Member.		

[F. No. A-41011/02/2024-Ad.VII]

ASHOK KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, एतद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004, जहां तक वे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- III के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –

(1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2024 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- III	935* (2024) कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अनुसचिवीय, समूह 'ख' राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400)	चयन पद

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए वांछित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो;**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।**
(10)	**(11)**
पदोन्नति द्वारा 100%	**पदोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स (35,400 रुपए – 1,12,400 रुपए) के स्तर-6 में ऐसे कार्यालय अधिक्षकों में से, जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1:** प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-।।। में पदोन्नति क्षेत्रवार की जाएगी। **टिप्पण 2:** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पदों अर्थात् कार्यालय अधीक्षक लेवल -6 में कार्यरत कार्मिकों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचाराधीन है, वहां उनसे वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न किया हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:- 1) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) द्वारा नामित प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त – अध्यक्ष; 2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) द्वारा नामित अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) – सदस्य; 3) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के स्थानीय अपर या संयुक्त आयुक्त – सदस्य; 4) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) के अतिरिक्त एक अधिकारी जो अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त पद से नीचे का न हो – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-41011/05/2024-प्रशा.7]

अशोक कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th September, 2024

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Income Tax Department Administrative Officers (Group "A" and Group "B" Posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Administrative Officer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Administrative Officer Grade-III in the Income Tax Department under the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, Administrative Officer Grade III (Group 'B' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in pay matrix.- The number of posts, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer Grade-III.	935* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Group 'B', Gazetted.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection Post.
Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**		**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**		**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
100 % by promotion	**Promotion:** From amongst Office Superintendents in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400) with five years of regular service in the grade after appointment thereto who have completed two to four weeks training as specified by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue. **Note 1:** Promotion to Administrative Officer Grade III will be made region-wise. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts i.e, Office Superintendent Level-6 on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 3**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1. Principal Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax nominated by Principal Chief Commissioner of Income Tax (Cadre Controlling Authority) - Chairman; 2. Additional or Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters) to be nominated by the Principal Chief Commissioner of Income Tax (Cadre Controlling Authority) - Member; 3. Local Additional or Joint Commissioner of Customs and Central Excise Department - Member; 4. One officer not below the rank of Additional or Joint Commissioner of Income Tax other than Additional or Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters) - Member	

[F. No.A-41011/05/2024-Ad.VII]

ASHOK KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव (समूह 'ख' पदों) भर्ती नियम, 2006, में जहां तक वे निजी सचिव के पद से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में निजी सचिव के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –

(1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद अथवा गैर चयनित पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव	634* (2024) कार्य भार के अनुसार तबदीली के विषयगत	सामन्य केन्द्रीय सेवा, अनुसचिवीय समूह 'ख' राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7 में (44900-142400)	चयनित पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अपेक्षित अर्हतायें	क्या पदोन्नतों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता लागू है।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो;
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
100 % प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** आशुलिपिक : - वेतन मैट्रिक्स में श्रेणी-। में लेवल – 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में नियुक्ति के उपरांत श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और इसके साथ-साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है। **टिप्पण 1 :** निजी सचिव के श्रेणी में पदोन्नति क्षेत्र वार की जाएगी । **टिप्पण 2:** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् आशुलिपिक ग्रेड- । लेवल -6 में कार्यरत कार्मिकों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही बनी रहेगी। **टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उन वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार के अंतर्गत् ऐसे अधिकारी :- (a) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर

	सदृश पद धारण किए हुये हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400-1,12,400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर आशुलिपिक श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है; **टिप्पण 1 :** फीडर पद के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) के द्वारा नामित प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त – अध्यक्ष 2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) के द्वारा नामित अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) – सदस्य 3) स्थानीय अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – सदस्य 4) अपर या संयुक्त आयुक्त आयकर (मुख्यालय) के अतिरिक्त एक अधिकारी जो अपर या संयुक्त आयुक्त आयकर पद से नीचे का न हो – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-41011/04/2024-प्रशा.7)

अशोक कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 26th September, 2024

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Income Tax Department, Senior Private Secretary, Private Secretary (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Private Secretary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Income Tax Department under the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Income Tax Department, Private Secretary (Group 'B' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in pay matrix.- The number of the said post, their classification and the Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Private Secretary	634* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Group 'B' Gazetted	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection post

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
100 % by Promotion failing which deputation	**Promotion:** Stenographers - Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400) with five years of regular service in the grade after appointment thereto and having successfully completed two to four weeks training as specified by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue. **Note 1:** Promotion to the grade of Private Secretary will be made region wise.

	Note 2: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts i.e. Stenographer Grade I Level-6 on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Stenographer Grade in the Level 6 in the pay matrix (Rs.35,400 - 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Principal Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax nominated by Principal Chief Commissioner of Income Tax (Cadre Controlling Authority) - Chairman; 2. Additional or Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters) to be nominated by the Principal Chief Commissioner of Income Tax (Cadre Controlling Authority) – Member; 3. Local Additional or Joint Commissioner of Customs and Central Excise Department – Member; 4. One Officer not below the rank of Additional or Joint Commissioner of Income Tax other than Additional or Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.